

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक : ए.4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/

दिनांक :

अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।  
 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर।  
 प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग जयपुर।  
 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, जोन।  
 समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय/सेटेलाईट अस्पताल।  
 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।  
 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।  
 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.एस.टी.बी.डी.टी.सी. अजमेर।  
 समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।  
 समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।  
 मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर।  
 राजकीय विश्लेषक, जयपुर।  
 समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।  
 विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी, जयपुर।  
 संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषय :- वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम आधिक्य व्यय एवं बचत तालिकायें (राज्य निधि प्रतिबद्ध/राज्य निधि) प्रस्तुत करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 समाप्त होने में लगभग दो माह शेष है, अतः नीचे उल्लेखित निर्देशों की पालना करते हुए संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों में) में अंतिम आधिक्य व्यय एवं बचत तालिकायें निम्न कार्यक्रमानुसार कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी (स.ले.अ. ग्रेड-I/स.ले.अ. ग्रेड-II/क.ले.) जहाँ लेखाकर्मी पदस्थापित नहीं है, वहाँ लेखा कार्य के विज्ञ कर्मी के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें :-

## समय सारणी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	निदेशालय में अंतिम आधिक्य एवं बचत की तालिकाएं प्रस्तुत करने की दिनांक
1	अधीक्षक, संयुक्त चिकि. संघ, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर	12.02.2018
2	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडीकल कॉलेज, अजमेर, जोधपुर,	12.02.2018
3	प्रिंसिपल स्वास्थ्य एवं, प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग, जयपुर	12.02.2018
4	विभागाध्यक्ष डिप्लोमा इन फार्मसी कोर्स, एसएमएस अस्पताल, जयपुर	12.02.2018
5	राजकीय विश्लेषक, सेठी कॉलोनी, जयपुर	12.02.2018
6	मुख्य खाद्य विश्लेषक, सेठी कॉलोनी, जयपुर	12.02.2018
7	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, जोन-जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर	14.02.2018
8	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नागौर, जयपुर, बांरा, जोधपुर	14.02.2018
9	चि. अ. प्रभारी, मोडीफाईड लेप्रोसी कन्ट्रोल युनिट, उदयपुर, झालावाड़, बून्दी, गंगानगर, कोटा, भरतपुर	14.02.2018
10	सहायक औषधि नियंत्रक, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, सीकर, बांसवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, चुरू, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, जयपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुन्झुनू, टोंक	14.02.2018
11	जिला क्षय रोग अधिकारी, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर, रतनगढ़ (चुरू), ब्यावर(अजमेर), श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, दौसा, हनुमानगढ़	15.02.2018
12	जिला क्षय रोग अधिकारी, अलवर, भरतपुर, जयपुर-प्रथम, झुन्झुनु, सीकर, बून्दी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, धौलपुर जयपुर-द्वितीय, प्रतापगढ़।	15.02.2018
13	अधीक्षक, कमला नेहरू क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	15.02.2018

14	डी.डी.ओ. निदेशालय चिकि. एवं स्वा. सेवार्यें,राजस्थान, जयपुर	15.02.2018
15	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सैटेलाईट हॉस्पिटल,सेठी कॉलोनी (जयपुर), बनीपार्क (जयपुर)	16.02.2018
16	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, करौली, सवाईमाधोपुर, बाडमेर, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, राजसमन्द, सागवाड़ा (डूंगरपुर), बीकानेर	16.02.2018
17	चि. अ. प्रभारी, रा. सैटेलाईट हॉस्पिटल,पावटा (जोधपुर), मण्डोर (जोधपुर), शाहपुरा (भीलवाड़ा) हिरनमगरी (उदयपुर), अजमेर, चांदपोल (उदयपुर)	16.02.2018
18	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर,ब्यावर(अजमेर),भरतपुर,भीलवाड़ा,धौलपुर, झुन्झुनू, नागौर,सीकर,टोक	19.02.2018
19	चि. अ. प्रभारी, रा. चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर),नसीराबाद (अजमेर) सोजत सिटी(पाली) बालोतरा,(बाडमेर) नाथद्वारा (राजसमंद),माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) सरदारशहर (चुरु),सुजानगढ़,(चुरु) छबड़ा (बारा) फलौदी (जोधपुर) शाहपुरा (जयपुर) खेतडी (झुन्झुनू),कुचामन सिटी(नागौर)लाडनु (नागौर)परबतसर (नागौर),डीडवाना (नागौर) बीकानेर हाऊस (नई दिल्ली)	19.02.2018
20	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,दौसा, कोटपुतली(जयपुर),श्रीहरिबक्श कावंटिया चिकि. जयपुर, जयपुरिया चिकि.,जयपुर	19.02.2018
21	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,रतनगढ़ (चुरु), चुरु, गंगानगर, बून्दी, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर	20.02.2018
22	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर,अलवर, बारा, बाडमेर,उदयपुर, चित्तौड़गढ़	20.02.2018
23	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर, पाली,प्रतापगढ़,जोधपुर ,अलवर	21.02.2018
24	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा,धौलपुर,डूंगरपुर, हनुमानगढ़,बांसवाड़ा	21.02.2018
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर,बून्दी,रतनगढ़ (चुरु)	22.02.2018
26	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर,जयपुर-प्रथम,जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालोर	22.02.2018
27	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़, झुन्झुनू,राजसमंद,करौली, कोटा	23.02.2018
28	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर, सिरोही,टोक, सवाईमाधोपुर	23.02.2018

अन्तिम आधिक्य बचत तालिकायें प्रस्तुत एवं तैयार करने में निम्नांकित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे :-

- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अंतिम आधिक्य व्यय एवं बचत तालिकायें निर्धारित कार्यक्रम से एक सप्ताह पूर्व प्राप्त कर इनकी जांच अपने स्तर पर करेंगे तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को लेखामदवार आवंटित बजट एवं उसके विरुद्ध व्यय तथा अवशेष राशि का सत्यापन **IFMS** से करना सुनिश्चित करेंगे। जिस अधीनस्थ कार्यालय में बचत है, उस कार्यालय की **office ID** से बचत राशि **Withdraw** कर **CMHO** अपनी **office ID** में रखेंगे। यदि समेकित रूप से किसी मद में बचत रहती है, तो बचत राशि आपके कार्यालय की **office ID** में उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः **IFMS** की **Hard Copy** साथ में लाया जाना सुनिश्चित करावे।
- संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 एवं आय व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निदेशालय द्वारा जिन पदों को प्रमाणित किया गया है संवेतन मद में उन्हीं पदों के लिये वास्तविक मांग का आंकलन किया जाकर तालिकायें प्रस्तुत की जावे।
- अन्तिम आधिक्य व्यय एवं बचत तालिकाओं के साथ माह जनवरी, 2018 का **IFMS** के अन्तर्गत कोषालय से मिलानशुदा मासिक व्यय मानचित्र भी साथ में लाया जाना सुनिश्चित करावे तथा यदि माह जनवरी, 2018 का मासिक व्यय मानचित्र पूर्व में प्रेषित कर दिया गया हो तो उसकी छाया प्रति साथ में लाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- अन्तिम आधिक्य एवं बचत की तालिकाएँ अलग-अलग बजट मदवार भिजवाई जावे तथा विस्तृत मद शीर्ष संलग्न प्रपत्र-अ के क्रमानुसार ही भिजवाई जावे। जो विस्तृत मद लागू नहीं हो उसे छोड़ा जा सकता है।
- जिन लेखा मदों में बचत संभावित है उन मदों में उतनी राशि **IFMS** के अन्तर्गत आपकी **UID** में उपलब्ध होना सुनिश्चित कर लिया जावे तथा आपकी **Office ID** में बचत राशि उपलब्ध है, इसकी **Hard copy** साथ में लावे।
- वर्दियों हेतु राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किया जावे।

7. अंतिम आधिक्य व्यय एवं बचत की तालिकाओं में मूल आवंटन के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में आदिनांक तक किये अतिरिक्त आवंटन एवं बजट निर्णायक समिति की बैठक में स्वीकृत न्यु आईटम के लिये आवंटन राशि को अलग-अलग दर्शाते हुये आवंटित राशि का कुल योग दर्शावे। नवीन मदों में आवंटित राशि एवं अब तक हुये व्यय तथा शेष अवधि में अनुमानित व्यय एवं अतिरिक्त मांग के लिये संक्षिप्त नोट मय औचित्य तैयार कर साथ लावे। किसी लेखामद में दायित्व बकाया हो तो बकाया दायित्वों की लेखामदवार सूची मय विस्तृत विवरण के साथ में लाया जाना सुनिश्चित करावे।
8. तालिकाओं में माह जनवरी, 2018 तक वास्तविक व्यय को दर्शाते हुये दिनांक 01.02.2018 से 31.03.2018 तक होने वाले संभावित व्यय को पूर्ण औचित्य के साथ दर्शाते हुए व्यय का योग दर्शाया जावे तथा उसके अन्त में अधिक व्यय एवं बचत को दर्शावे।
9. तालिकाओं में बजट प्रावधान में केवल वही राशि अंकित की जावे जो आपको अधिकृत रूप से आवंटित की गई है। अंतः IFMS के अन्तर्गत बजट स्थिति से सम्बन्धित हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से साथ लावे।
10. प्रपत्र "अ" के कॉलम सं. 12 (अंतिम आवंटन) को खाली रखें। उक्त कॉलम की पूर्ति निदेशालय स्तर से की जावेगी।
11. चालू वित्तीय वर्ष के लिये राज्य निधि/राज्य निधि प्रतिबद्ध मदों से संबंधित व्यय तालिकायें निर्धारित दिनांक तक भिजवायी जानी सुनिश्चित की जावे। माह जनवरी 2018 का मासिक व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने पर अंतिम आधिक्य व्यय एवं बचत में की गई मांग पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. संवेतन मद में शुद्ध राशि के आधार पर आकलन नहीं किया जाकर सकल राशि इस मद में प्रस्तावित की जावे।
13. उक्त तालिकाओं के साथ मे माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक लेखा शीर्षक 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में प्राप्त राजस्व एवं दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक संभावित आय का विवरण प्रपत्र-'ब' में आवश्यक रूप से साथ लावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्राप्त राजस्व की सूचना आय मदवार संकलित कर, समेकित रूप से आय की सूचना निर्धारित प्रपत्र 'ब' में लाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. अंतिम आधिक्य व्यय एवं बचत तालिकाओं में ऐसे व्यय को सम्मिलित नहीं किया जावे जो दिनांक 31.03.2018 तक कोष कार्यालय से पारित होने की स्थिति में न हों।
15. वर्तमान में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का लेखा मद वार विवरण जिनका 7<sup>th</sup> पे-कमीशन के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया है, उनकी लेखामद वार सूची निम्नलिखित प्रारूप में आधिक्य/बचत की तालिकाओं के साथ लाया जाना सुनिश्चित करावे।

क्र. सं.	लेखामद	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या	कार्यरत पदों में से 7 वें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण किये गये कर्मिकों की संख्या	कार्यरत पदों में से 7 वें वेतन आयोग में वेतन स्थिरीकरण नहीं होने वाले कर्मिकों की संख्या
----------	--------	----------------------------	----------------------------	--	--

संलग्न :- प्रपत्र- अ एवं ब

(ज.एल.जागिड)  
 वित्तीय सलाहकार  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/ 1236

दिनांक 09/01/18

प्रतिलिपि :- 1 नोडल अधिकारी डोडा पोस्ट नशा मुक्ति कार्यक्रम "नया सवेरा" मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित आवंटित राशि का अन्तिम आधिक्य/बचत का अपने स्तर पर सत्यापन कर प्रस्तुत करावे।

2 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है-कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

(ज.एल.जागिड)  
 वित्तीय सलाहकार  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राजस्थान जयपुर

Name Of Office :-

Statement showing the Final Excess & Saving for the year 2017-18

Budget Head :-

(Rs. in Lacs)

Detailed Head	Final Allotment 2016-17	Actual Expenditure 2016-17	Original Allotment 2017-18	Additional Allotment Upto date	Allotment for New Items	Total Allotment 2017-18 (Col. 4+5+6)	Exp. Upto 31-1-2018	Likely Exp. 1-2-2018 to 31-3-2018	Total Exp. 2017-18 (Col. 8+9)	Excess (-)/ saving (+) (7-10)	Final Allotment to be done by FA (DMHS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01- Salary											
02- Wages											
03- Travelling Expenses											
04- Medical Expenses											
05- Office Expenses											
07- MMV											
08- Special Services											
09- RRTR											
11- Adv.& Publicity											
12- Grant in Aid											
13- Stipend&Scholarship											
18- METP											
19-Light & Water											
20-MMV											
21- Repaire & maintence											
22- Material Supply											
28- Miscellaneous Exp.											
31-Library											
36-Hireing Charges Of Vec.											
37- Liveries											
41- Cont.Services											
51- X-Ray											
58- Clothing Bedding											
60- Drug & Medicine											
61- Diet											
<b>Total</b>											

"प्रमाणित किया जाता है, कि 01-संवैतन में वेतन भत्तों का आहरण लेखामदवार स्वीकृत पदों के आधार पर ही किया जा रहा है।"

Seal & Signature of D.D.O.

Statement showing the Final Revenue Receipts for the year 2017-18

Name of Office :-

(Rs. in lacs)

Detailed Head	Actual Income		Actual Income 4/2016 to 01/2017	Estimated income 1.02.2018 to 31.03.2018	Total Income 2017-18 (Col. 4+5)
	2015-16	2016-17			
1	2	3	4	5	6
0210-01-020-(01)-[00] अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियाँ					
0210-03-105-(02)-[00] चिकित्सा संस्थानों/नर्सिंग संस्थानों से प्राप्तियाँ					
0210-04-800-(02)-[00] विविध प्राप्तियाँ					
0210-04-800-(03)-[00] खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि					
0210-04-800-(04)-[00] तंबाकू एवं निकोटिन के नियमों के उल्लंघन से प्राप्त जुर्माना राशि					
0210-04-800-(06)-[01] जन स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्तियाँ					
0210-04-800-(50)-[01] अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ					
0210-04-800-(50)-[02] अन्य अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियाँ					
0210-04-800-(51)-[01] लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्तियाँ					
योग:-					

Seal & Signature of D.D.O.  
(With Office ID)